कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 06.11.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 05.11.2024 को सायंकालीन एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान लोकल एवं स्पेशल एक्ट में कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में दौरान लोकल एवं स्पेशल एक्ट में कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए ।

श्री पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

लोकल एवं स्पेशल एक्ट में कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना, राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभियान में समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया उसके खिलाफ धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत् कुल 23 चालान ,धारा 60 पुलिस एक्ट में कुल 69 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा राजकोप ऐप पर कुल 218 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो का मिलान कर 140 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा तथा 12 बंपर लगे वाहनों, 01 बिना नंबरी वाहनों व 16 काला शीशा लगे वाहनों का एम.वी. एक्ट के तहत् चालान कार्यवाही की गई व लोकल एवं स्पेशल एक्ट में 03 कार्यवाही की गई जिसके अंतर्गत पुलिस थाना जुआ अधिनियम के तहत सदर बाजार द्वारा 01 कार्यवाही तथा नागौरी गेट द्वारा 02 कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी,अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सअप नं. 9530440800 पर सूचित करे ।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।